सं0–1185/उन्तीस/04– 2(47पे0) /2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग– देहरादून: दिनांक 26 मई ,2004

विषय– नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के जीर्णोद्वार/पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2004–05 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक सं0–474/वि0अनु0 अनुदान/2004–05 दिनांक 13 मई, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किसंलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार नगरीय पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं के पुनर्गठन, जीर्णोद्वार सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत हेतु रू0 3,08,54,000 (रू0 तीन करोड आठ लाख चौव्वन हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखें जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तब ही किया जायेगा जब पूर्व स्वीकृत धनराशि का 80 प्रतिशत तक उपयोग हो जाये।

3– पूर्व स्वीकृत धनराशि का एक माह के अन्दर उपयोग सुनिश्चित करके इस धनराशि का आहरण कर योजनायें समयबद्ध ढग से पूर्ण करके इसकी सूचना शासन को दी जायेगी।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण के सम्बन्ध मे मुख्य महाप्रबन्धक,उत्तरांचल, जल संस्थान देहरादून, के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा कुमॉयू मण्डल से सम्बन्धित धनराशि आहरण के उपरान्त महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान कुमायूँ परिक्षेत्र नैनीताल को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी ।

5– कन्टीजेंसी एवं सेटेज चार्जेज शासन द्वारा अनुमन्य दरों पर ही लिया जाय। प्रोजेक्ट तैयार करने एवं सुपरविजन हेतु कोई धनराशि अनुमन्य नही होगी ।रू0 1.00 करोड़ से अधिक लागत की जिन योजनाओं की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति नही हुई है उनमें धनराशि कदापि व्यय न की जाय।

क्रमशः 2

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों के अलावा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व विस्तृत आगणनो पर सक्षम अधिकारी की टेक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

7– स्वीकृत धनराशि उन्ही कार्यो पर व्यय की जाय जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही है । धनराशि का व्यय ऐसे कार्यो पर कदापि नही किया जाये जिनके संबंध में तकनीकी स्वीकृति नही है अथवा जो विवादग्रस्त है। एक योजना की धनराशि दूसरी योजना पर कदापि व्यय न की जाय।

8– योजना में कार्य करते समय टैण्डर विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा और सेंटेज आदि पर व्यय शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर ही किया जायेगा ।

9– कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता /निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगें तथा निर्माण कार्य की मासिक /त्रेमासिक एवं वार्षिक प्रगति विवरण समीक्षा हेतु शासन को उपलब्ध करायेगें ।

10– दिनांक 31.03.2004 तक स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एंव उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

11– यदि धनराशि बैंक में जमा रखी जाती है तो उस पर समय–समय पर अर्जित ब्याज की धनराशि का विवरण शासन को सूचित करते हुए राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति– आयोजनागत –101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05– नगरीय पेयजल–03–नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्वार सुदृढीकरण हेतु अनुदान–20–सहायक अनुदान/ अशंदान/ राजसहायता के नामे डाला जायेगा ।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0– 353/वित्त अनु0–03/ 2004 दिनांक 24 मई,2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय,

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

क्रमश –3–

सं0–1185/उन्तीस/04– 2(47पे0) /2004, तद दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून ।
(2) मण्डलायुक्त गढ़वाल/ कुमॉयू, पौड़ी / नैनीताल ।
(3) जिलाधिकारी, देहरादून/ पौड़ी/उधमसिंह नगर /अल्मोडा/ पिथौरागढ/ बागेश्वर/नैनीताल।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
(5) महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान कुमॉयू परिक्षेत्र, नैनीताल ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून ।
(7) मुख्य अभियन्ता, (गढवाल/कुमॉयू) उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पौड़ी/नैनीताल ।
(8) वित्त अनुभाग–3 /वित्त (बजट सेल) /नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
(9) श्री एल0 एम0 पन्त, अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग ।
(10)निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री/मा0 पेयजल मंत्री उत्तरांचल ।
(11)निदेशक,सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून ।
(12)निदेशक,एन0आई0सी,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

शासनादेश– सं0–1185 / उन्तीस / 04– 2(47पे0) / 2004, दिनांक मई, 2004 का संलग्नक:

(धनराशि रू0 लाख में)

क0 सं0	जनपद का नाम	योजना का नाम	अनु0 लागत	पूर्व अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	मसूरी पे0यो	330.40	274.00	18.40
2	पौड़ी	कोटद्वार पे0यो0	348.30	202.90	48.47
3	नैनीताल	नैनीताल पे0यो0	172.31	20.00	25.33
4	"	भवाली पे0यो0	47.47	15.00	32.47
5	"	हल्द्वानी सी0यो0	38.08	10.00	28.08
6	अल्मोडा	अल्मोडा पे0यो0	182.55	84.00	16.00
7	पिथौरागढ	पिथौरागढ पे0यो0	244.95	40.00	33.70
8	"	धारचूला सी0यो0	19.23	5.00	14.23
9	बागेश्वर	बागेश्वर पे0यो0	54.85	15.00	39.85
10	उधमसिंह नगर	सितारगंज पे0यो0	45.53	15.00	30.53
11	"	गदरपुर पे0यो0	31.48	10.00	21.48
		योग:–	1515.15	690.90	308.54

(रू0 तीन करोड आठ लाख चौव्वन हजार मात्र)

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव